

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3992

18.08.2025 को उत्तर के लिए

सतलुज नदी में संदूषित पानी छोड़ा जाना

3992. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पंजाब की औद्योगिक इकाइयों और नगर निकायों द्वारा सतलुज नदी और बुड्डा नाला में संदूषित पानी छोड़े जाने के परिणामस्वरूप हरिके बैराज के माध्यम से इंदिरा गांधी फीडर और फिरोजपुर फीडर को प्रदूषित जल की आपूर्ति होने से राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर जैसे जिलों में गंभीर जल प्रदूषण हो रहा है;
- (ख) यदि हाँ, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन इकाइयों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, नोटिस जारी करने, शास्ति लगाने, निगरानी करने और उपचारी उपायों की क्या स्थिति है; और
- (ग) क्या सरकार ने बुड्डा नाला पुनरुद्धार परियोजना के अंतर्गत सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी)/सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के निर्माण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और राजस्थान की नहरों में शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): सीपीसीबी ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के साथ मिलकर अप्रैल, 2024 में हरिके बैराज पर बुड्डा नाला, पूर्वी बेई, इंदिरा गांधी नहर (राजस्थान नहर), फिरोजपुर फीडर नहर और लुधियाना, पंजाब में सीवेज प्रक्रिया संयंत्र (एसटीपी) तथा सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र (सीईटीपी) में जल गुणवत्ता की निगरानी की है।

बुड्डा नाला और पूर्वी बेई की जल गुणवत्ता पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-VI के तहत निर्धारित पर्यावरण प्रदूषकों के निर्वहन के सामान्य मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। विश्लेषणात्मक परिणामों से पता चलता है कि इंदिरा गांधी नहर की जल गुणवत्ता पारंपरिक शोधन और कीटाणुशोधन के बाद निर्धारित सर्वोत्तम उपयोग अर्थात् पेयजल स्रोत के लिए जल गुणवत्ता मानदंड की 'ग' श्रेणी के अंतर्गत आ रही है, जबकि फिरोजपुर फीडर की जल गुणवत्ता जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी)

(बीओडी 5 मिलीग्राम/लीटर के मुकाबले < 3 मिलीग्राम/लीटर या उससे कम) के संबंध में निर्धारित सर्वोत्तम उपयोग के लिए जल गुणवत्ता मानदंड की 'ग' श्रेणी के अंतर्गत नहीं का रही है।

लुधियाना, पंजाब में एसटीपी और सीईटीपी के निरीक्षण के आधार पर, सीपीसीबी ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) को आवश्यक अनुपालन के निर्देश जारी किए। इसके बाद, पीपीसीबी ने संबंधित सीईटीपी को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क के तहत निदेश जारी किए हैं।

जल गुणवत्ता आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2018 के दौरान सीपीसीबी द्वारा 351 प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) की पहचान की गई, जिनमें से पंजाब राज्य में 04 पीआरएस की पहचान की गई, जिसमें प्राथमिकता श्रेणी I के तहत रूपनगर से हरिके ब्रिज तक सतलुज नदी का प्रदूषित खंड शामिल है। सीपीसीबी द्वारा चिन्हित 351 प्रदूषित नदी खंडों के पुनरुद्धार के लिए, जिसमें सतलुज नदी का प्रदूषित खंड भी शामिल है, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित नदी पुनरुद्धार समिति (आरआरसी) द्वारा कार्य योजनाएं तैयार की गई थीं, जिसका समग्र पर्यवेक्षण और समन्वय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण सचिव के अधीन था, ताकि सीपीसीबी द्वारा चिन्हित सभी प्रदूषित नदी खंडों को स्नान के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके (अर्थात् बीओडी < 3 मिलीग्राम/एल और एफसी < 500 एमपीएन/100 एमएल)।

कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तर पर आरआरसी और केंद्रीय स्तर पर जल शक्ति मंत्रालय में गठित केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा की जाती है।

उक्त कार्ययोजना में स्रोत नियंत्रण (नगरीय सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन), नदी जलग्रहण/बेसिन प्रबंधन (अच्छी सिंचाई पद्धतियों को अपनाना, शोधित सीवेज का उपयोग, भूजल पुनर्भरण पहलू), बाढ़ मैदान क्षेत्र संरक्षण और उसका प्रबंधन (जैव-विविधता पार्कों की स्थापना, अतिक्रमण हटाना, वर्षा जल संचयन, नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण), पारिस्थितिकी/पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) और जलग्रहण प्रबंधन जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

नदियों की सफाई/पुनरुद्धार एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों को नदियों और अन्य जल निकायों में छोड़े जाने से पहले उनका निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक शोधन सुनिश्चित करें। जल शक्ति मंत्रालय गंगा बेसिन की नदियों के लिए “नमामि गंगे” की केंद्रीय क्षेत्र योजना और देश की अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से देश में नदियों के चिन्हित हिस्सों में प्रदूषण के उन्मूलन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। इसके अलावा, अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत सीवेज अवसंरचना का निर्माण किया जाता है।

पंजाब राज्य सरकार ने बुड्ढा नाला पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अंतर्गत 285 एमएलडी क्षमता वाले दो नए एसटीपी स्थापित किए गए हैं। 418 एमएलडी क्षमता वाले 4 पुराने एसटीपी का पुनरुद्धार किया गया है। डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 6 एमएलडी क्षमता वाले 2 अपशिष्ट शोधन संयंत्र (ईटीपी) भी स्थापित किए गए हैं। इसके साथ, लुधियाना में औद्योगिक अपशिष्ट जल के शोधन के लिए 105 एमएलडी क्षमता वाले 3 सीईटीपी भी स्थापित किए गए हैं।
